FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

मूलाराम .... बनाम .... हरजीराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR Act नं. 223/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.8.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम मारवाड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/9/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील क्रम तामील अप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 07/10/20 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
07/10/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील क्रम तामील अप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली [illegible] दिनांक 20/10/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:48:22 IST
Reason: SelfAttested

28/10/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण के नोटिस तामिल फरम तामिल अनुपालना ... होकर पत्रावली दिनांक 04/11/2020 को पेश हो।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) ...

04/11/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधि-अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत पास-पास व सेढा सेढ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मांडे व ढोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये है। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु खेत की नेपमबन्दी करवानी आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुदा जाब्ताकार करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर

...के/वाद/2020/927

प्रार्थीगण

1.मानाराम पुत्र खुमाराम निवासी छीतर का पार तहसील बायतु बाड़...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:48:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 927

दिनांक– 5/11/2020

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1.मानाराम पुत्र खुमाराम निवासी जोगासर कुआ छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर

1. हरजीराम पुत्र लालाराम निवासी जोगासर कुआ छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 223/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा छीतर का पार पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 493, 495 रकबा 1.7879 2.3864 हैक्टर व मौजा जोगासर कुआ पटवार हल्का छीतर का पार के खेत खसरा नम्बर 689/107, 690/107 रकबा 3.4949, 3.4949 हैक्टयर व मौजा मूलाणी पटवार हल्का चौखला के खेत खसरा नम्बर 556 रकबा 7.5156 हैक्टयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने मे राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपये 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2020/ 928-32

दिनांक– 5/11/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी छीतर का पार / चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मानाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण हरजीराम वगैरा
5. थानाधिकारी , पुलिस थाना , गिडा/बायतु/[illegible]

sd/-

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:48:22 IST
Reason: SelfAttested